केन्द्रीय विद्यालय संगठन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

केन्द्रीय विद्यालय संगठन/KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत निकाय)
(An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. Of India)
क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़/Regional office, Chandigarh
एससीओ/SCO NO. 72-73, सैक्टर 31-ए/SECTOR 31-A, चंडीगढ़/ Chandigarh
Website: https://rochandigarh.kvs.gov.in/
ई मेल/E-Mail : *kvsaccschd@gmail.com*
फोन/Phone: 0172-2637973 (A/cs)

ऍफ़ 16262/केविएस (सीअर)/चंडीगढ़ /2024-25/5700 से 5757 दिनांक :- 14.08.2024

प्राचार्य / प्राचार्या
सभी केन्द्रीय विद्यालय,
चंडीगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत

विषय: केंद्रीय विद्यालय संगठन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के सरांशीकरण की वसूली के संबंध में ।

महोदया/महोदय,

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ 110230(Misc)/2024-केवीएस(मुख्यालय)/पी व् बी दिनांक 09.08.2024 के संदर्भ में, उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में केंद्रीय विद्यालय संगठन से प्राप्त ज्ञापन (सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के सरांशीकरण की वसूली) की प्रति आपकी जानकारी और आगे की कार्रवाई के हेतु संलग्न की जा रही है तथा उपरोक्त ज्ञापन को विद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया जाता है ।

भवदीया,

Encl: ऊपरोक्त अनुसार

(प्रीति सक्सेना)
उपायुक्त

केंद्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, संस्थागत क्षेत्र/18, Institutional Area
शहीद जीत सिंह मार्ग/Saheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली-110016/ New Delhi-110016.
फोन नं/.Phone no. : 26858570,
साइट/Website: www.kvsangathan.nic.in
E- Mail:- pensionkvshq@gmail.com

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

फ.स. 110230(Misc.)2024-के॰वी॰एस॰ (मु॰) /पे॰व॰बी॰/54706 दिनाँक 09.08.2024

ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों की पेंशन के संराशीकरण की वसूली के सम्बंध में।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पेंशनरों से काफी संख्या में पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की वसूली की अवधि में संशोधन हेतु पत्र प्राप्त हो रहे हैं ।

इस सम्बंध में सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन समय-समय पर पेंशनभोगियों के लिय केन्द्र सरकार द्वारा जारी नियमो और विनियमों का पालन करता है। मौजूदा पेंशन/पेंशन के कम्यूटेशन नियमो के अनुसार, पेंशन का कम्यूटेड मूल्य 15 वर्षों के बाद बहाल किया जाना है। भारत सरकार ने न्यायालयों के किसी भी आदेशों पर उक्त नियमों में कोई संशोधन नहीं किया है। चूंकि, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के नियमों का पालन करता है, इसलिए, केन्द्रीय विद्यालय संगठन स्वत: पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की वसूली की अवधि में संशोधन नहीं कर सकता है।

इसलिए, विभिन्न पेंशनभोगियों के पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की वसूली की अवधि में संशोधन के अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तदानुसार इस विषय पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्राप्त प्रतिवेदनो का निस्तारण समझा जाये।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

09.08.24

(सत्य नारायण गुलिया)
संयुक्त आयुक्त (वित्त)

प्रेषित: -

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी पेंशनर।

प्रतिलिपि:-

1. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचनार्थ ।
2. सहायक आयुक्त (EDP), के. वि. सं.(मु.) नई दिल्ली को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।